अतिआवश्यक/महत्वपूर्ण

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश।

1-तिलक मार्ग लखनऊ

डीजी परिपत्र संख्या- 71 /2016 दिनांकःलखनऊःदिसम्बर 28 ,2016

सेवा में,

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक प्रभारी जनपद,
उत्तर प्रदेश ।

मा0 उच्च न्यायालय में योजित रिट पिटीशन संख्या-17171(एम/बी)/2016 इकरार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य के परिप्रेक्ष्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिनॉक 24-11-2016 पारित करते हुए यह तथ्य संज्ञान में लाया गया है कि 156(3) सी0आर0पी0सी0 के अन्तर्गत मा0 न्यायालयों में प्रस्तुत किये जाने वाले प्रार्थना पत्रों के परिप्रेक्ष्य में मा0 न्यायालय द्वारा अभियोग पंजीकृत किये जाने के आदेश पारित किये जाने के बाद अन्यन्त विलम्ब से प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित की जा रही है और विवेचना भी अनावश्यक रूप से लम्बित रखी जाती है।

2- उल्लेखनीय है कि विवेचना में विलम्ब से साक्ष्य को नष्ट/विलोपित किये जाने की प्रबल सम्भावना रहती है जिससे वास्तविक स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाती है । अधोहस्ताक्षरी द्वारा आप सभी को समय-समय पर प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित किये जाने एवं विवेचना में विलम्ब न किये जाने के सम्बन्ध में कतिपय निर्देश निर्गत किये गये हैं, इसके उपरॉत भी इस प्रकार के दृष्टॉत प्रकाश में आ रहे हैं । ऐसा प्रतीत होता है मा0 न्यायालय एवं इस मुख्यालय से निर्गत निर्देशों को गम्भीरता से नहीं लिया जा रहा है जो कदापि उचित नहीं है ।

3- अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि 156(3) सी0आर0पी0सी0 के अन्तर्गत प्रस्तुत किये जाने वाले प्रार्थना पत्रों पर मा0 न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में तत्काल प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित कर विवेचना शीघ्रातिशीघ्र सम्पादित करायी जाय । भविष्य में यदि ऐसे प्रकरणों की पुनरावृत्ति होती है तो अधोहस्ताक्षरी को आपके विरूद्ध भी कार्यवाही कराने हेतु विवश होना पड़ेगा ।

(जावीद अहमद)
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आप जोन एवं परिक्षेत्र स्तर पर मा0 न्यायालयों द्वारा 156(3) सी0आर0पी0सी0 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्रों पर पारित आदेशों की नियमित समीक्षा कर उपरोक्त निर्देशों का कड़ायी से अनुपालन सुनिश्चित करायें:-

1- समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश ।
2- समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश ।